



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर धोखाधड़ी/दस्तावेजों की जालसाजी करने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹4,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-261/1994 धारा-420,467,471 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय सिविल जज(सीनियर डिवीजन)FTC जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फूल सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह नि0 रिठौरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹4,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एसपीओ श्री विकास  
सिंह



विवेचक-  
उ0नि0  
आर0के0भदौरिया



पैरोकार- थाना  
कोतवाली नगर  
का0 सोमनाथ